

340

340

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

पत्रांक 2302

दिनांक 9/12/2021

मत्स्य विकास पदाधिकारी के काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए
दिशा निर्देश:-

1. सभी प्रमाण-पत्र, अंक पत्र मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (देखे संलग्न चेक स्लिप)।
2. सभी प्रमाण-पत्र आवेदन के अंतिम तिथि दिनांक-06.04.2021 से पूर्व का निर्गत होना अनिवार्य है। आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत कोई भी प्रमाण-पत्र नहीं होगा।
3. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी /नियुक्ति प्राधिकार/ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए तथा अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तिथि-05.05.2021 तक का होना चाहिए एवं कार्यानुभव की गणना दिनांक-06.04.2021 तक किया जायेगा।
4. ऑन-लाईन आवेदन तथा ऑनलाईन आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र की Downloaded Hard Copy स्व-अभिप्रेमाणित कर काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
5. Online आवेदन में upload किये गए Photograph की 5 (पाँच) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
7. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
8. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः काउंसलिंग कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी, प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आवेदन में अंकित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन हेतु आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र यथा:- (वर्णित क्रम में)

(A) राज्य सरकार के सामान्य शर्तों के अनुपालन हेतु :-

- (i) जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का प्रमाण-पत्र।
- (ii) निवास प्रमाण-पत्र।
- (iii) फोटोयुक्त पहचान पत्र (Aadhaar Card/Pan Card/Driving Licence/Passport /Voter ID).
- *(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।
- *(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।
- *(vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषण पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर)।
- *(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र। (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।
- *(viii) दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- *(ix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र।

1

2

3

4

5

6

5

8

9

- 33
- (319)
- (x) ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गए फोटोग्राफ की 5 प्रति।
- (B) संवर्गीय नियमावली के दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु :-
- * (i) चरित्र एवं आचरण प्रमाण-पत्र। (जिस महाविद्यालय से B.S.C अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए हों वहाँ के प्रधान के द्वारा दिये गए चरित्र एवं आचरण प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।)
- (ii) बी०एस०सी० इण्डस्ट्रीयल फिश एण्ड फिशरीज (ऑनर्स) अथवा बी०एस०सी० (एक्वाकल्चर) अथवा एम०एस०सी० जन्तु विज्ञान (स्पेशल पेपर फिश) अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई के केन्द्र से इनलैण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नाकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्सियकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र अथवा प्रोविजनल प्रमाण-पत्र।
- (iii) बी०एस०सी० इण्डस्ट्रीयल फिश एण्ड फिशरीज (ऑनर्स) अथवा बी०एस०सी० (एक्वाकल्चर) अथवा एम०एस०सी० जन्तु विज्ञान (स्पेशल पेपर फिश) अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई के केन्द्र से इनलैण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नाकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्सियकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में उत्तीर्णता के सभी वर्षों का अंक-पत्र।
- (iv) कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र एवं (मत्स्य निदेशालय बिहार सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों अथवा बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्य विभागों नियंत्री पदाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत)
- (v) ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति।

10

1

2

3

4

5

11. अंक सत्यापन प्रमाण-पत्र के निर्धारित कॉलम में अभ्यर्थी द्वारा उनके अनुसार प्राप्त होने वाले अंकों को जोड़ कर लिखना होगा तथा सभी कॉलम भरकर हस्ताक्षर करना होगा।

82/3.12.2021
सचिव
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
पटना।

338

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

मत्स्य विकास पदाधिकारी के कॉन्सलिंग के लिए चेक लिस्ट

विज्ञापन सं०-03/2021

दिनांक -----

1.	नाम :-	
2.	पिता का नाम:-	
3.	स्थायी पता :-	
4.	ऑन-लाईन आवेदन का पंजीकरण संख्या:-	
5.	जन्म तिथि:-	दिनांक-01.08.2020 को आयु (साल, महिना, दिन) :-
6.	श्रेणी :-	A. अनारक्षित/इंडब्लूएस०/बी०सी०/ई०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी०। B. दिव्यांग/स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी C. बिहार राज्य के मूल निवासी :- हाँ ☐ नहीं ☐

7. समर्पित किये गये प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित (मूल से मिलान कर) छायाप्रति :-

(A) राज्य सरकार के सामान्य शर्तों के अनुपालन हेतु :-

- (i) जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का प्रमाण-पत्र।
- (ii) निवास प्रमाण-पत्र।
- (iii) फोटोयुक्त पहचान पत्र (Aadhaar Card/Pan Card/Driving Licence/Passport/Voter ID).
- *(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।
- *(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।
- *(vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषण पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर)।
- *(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र। (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।
- *(viii) दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- *(ix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र।
- (x) ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गए फोटोग्राफ की 5 प्रति।

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(B) संवर्गीय नियमावली के दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु :-

- (i) चरित्र एवं आचरण प्रमाण-पत्र। (जिस महाविद्यालय से B.S.C अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए हों वहाँ के प्रधान के द्वारा दिये गए चरित्र एवं आचरण प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) 1
- (ii) बी0एस0सी0 इण्डस्ट्रीयल फिश एण्ड फिशरीज (ऑनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (एक्वाकल्चर) अथवा एम0एस0सी0 जन्तु विज्ञान (स्पेशल पेपर फिश) अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई के केन्द्र से इनलैण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नाकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्सियकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र अथवा प्रोविजनल प्रमाण-पत्र। 2
- (iii) बी0एस0सी0 इण्डस्ट्रीयल फिश एण्ड फिशरीज (ऑनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (एक्वाकल्चर) अथवा एम0एस0सी0 जन्तु विज्ञान (स्पेशल पेपर फिश) अथवा केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई के केन्द्र से इनलैण्ड फिशरीज में एक वर्षीय स्नाकोत्तर डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय मात्सियकी शिक्षा संस्थान के केन्द्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट में उत्तीर्णता के सभी वर्षों का अंक-पत्र। 3
- * (iv) कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र (मत्स्य निदेशालय बिहार सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों अथवा बिहार सरकार के अन्तर्गत अन्य विभागों नियन्त्री पदाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकार /सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत) 4
- (v) ऑनलाईन आवेदन की छायाप्रति। 5

* आवेदक द्वारा दावा करने की स्थिति में सत्यापन किया जाना है।

मेरे द्वारा उपरोक्त कंडिका 7 के उप कंडिका-A..... तथा B..... को छोड़कर शेष उप कंडिकाओं में अंकित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ समर्पित की गयी। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज सही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ का मिलान मूल दस्तावेज से किया गया एवं इसे मूल दस्तावेजों के अनुरूप पाया गया। प्राप्त किए गए दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ को फोल्डर में पृष्ठ से पर संलग्न किया गया। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार की :-

- ☐ आयु सीमा सही है :- (आयु)
- ☐ अभ्यर्थी का कोटि का दावा मान्य है :- (कोटि)
- ☐ अभ्यर्थी का अनुभव का दावा मान्य है :- (अनुभव अवधि)

कोई विशेष टिप्पणी यदि हो, तो अंकित करें।

सहायक का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

प्रशाखा पदा० का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

प्रभारी पदा० का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

336

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

मत्स्य विकास पदाधिकारी का अंक सत्यापन प्रपत्र

1	विज्ञापन संख्या :- 03 / 2021				
2	पद का नाम:- मत्स्य विकास पदाधिकारी				
3	पंजीकरण संख्या (Registration No.) :- BR00150.....				
4	अभ्यर्थी का नाम:-				
5	शैक्षणिक योग्यता:-		आवेदन के अनुसार (कुल पूर्णांक प्राप्तांक के आधार पर)		सत्यापन के अनुसार
a	B.S.C/M.S.C का अंक:- (विज्ञापन की कंडिका 1 में अंकित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए)		प्राप्तांक %	प्राप्तांक % X 0.75	प्राप्तांक % X 0.75
	प्राप्तांक		पूर्णांक		
	1 st				
	2 nd				
	3 rd				
	4 th				
	कुल				
b	कार्य अनुभव का अंक:-		कार्यावधि _____(कार्य दिवस)		कार्यावधि _____(कार्य दिवस)
c	कुल अंक:-				

दिनांक:-

स्थान- बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

अभ्यर्थी का हस्तारक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका-5 (a), (b) एवं (c) में अंकित प्राप्तांक/अंक का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र अथवा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र से कर लिया गया है एवं की गई गणना सही है।

सहायक/डाटा इण्ट्री ऑपरेटर

प्रशाखा पदाधिकारी

प्रभारी पदाधिकारी

333

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

काउंसिलिंग हेतु प्राप्ति रसीद।

1	विज्ञापन संख्या :- / 2021
2	पद का नाम:- मत्स्य विकास पदाधिकारी / मत्स्य प्रसार पदाधिकारी
3	पंजीकरण संख्या (Registration No.) :- BR00150.....
4	अभ्यर्थी का नाम:-
5	दिनांक:-

चेक लिस्ट के निम्नलिखित कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा किया गया है। (चिन्हित करें ✓ ✗)

7. A :- (i) ☐ (ii) ☐ (iii) ☐ (iv) ☐ (v) ☐

(vi) ☐ (vii) ☐ (viii) ☐ (ix) ☐ (x) ☐

7. B :- (i) ☐ (ii) ☐ (iii) ☐ (iv) ☐ (v) ☐

उपरोक्त में निम्नांकित प्रमाण-पत्र:-

1.

2.

3.

मूल में उपस्थापित नहीं किया गया है / त्रुटिपूर्ण पाया गया है। (जो लागू नहीं हो काट देंगे)

(त्रुटि का कारण

..... संक्षेप में)

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
टेबुल संख्या